

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

\*\*\*\*\*

क्रमांक: प. 3(4)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक: - 3 NOV 2021

संशोधित-आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा नगर नियोजन सेवा के श्री सुनील चौहान, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, बाडमेर को आवंटित कार्य के साथ-साथ नगर विकास न्यास, जैसलमेर का कार्य सम्पादित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेशों की निरन्तरता में आंशिक संशोधन करते हुए श्री चौहान को निर्देशित किया जाता है कि वे सप्ताह में न्यूनतम 02 कार्यदिवस आवश्यक रूप से नगर विकास न्यास, जैसलमेर का कार्य सम्पादित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, बाडमेर।
7. संबंधित अधिकारी।



31/11/2021

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय